(b) In order to speed-up the trial, the Designated Court has been given exclusive responsibility to try only the assassination case of Late Shri Rajiv Gandhi. Prosecution is taking all steps to ensure speedy and fair trial in the case.

स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक

2164. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु लंबित है ;

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी ; और

(ग) उक्त विधेयक स्वीकृति हेतु कब से लंबित हैं और इन बिलों का धारा-वार विवरण क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन (गुजरात संशोधन) विधेयक, 1994 दिनांक 1.8.1994 को राष्ट्रपति के विचारण के लिए प्राप्त हुआ है । राज्य विधायनों ने भारत सरकार के संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा जांच करने तथा जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किए जाने की मांग की है । विधेयकों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अनुस्मारक भेजे जाते हैं तथा जहां आवश्यक होता हैं विचार-विमर्श भी किया जाता है ।

विधेयक का आशय बम्बई ईनाम (कच्छ क्षेत्र) समापन अधिनियम 1958 की धारा 14 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार के ऋणदाता या उप-ईनाम के धारकए द्वारा दावा अधिसूचित करने की अवधि; उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्दिष्ट ईनामदार या धारक को देय मुआवजे की धनराशि के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र देने की अवधि और धारा 16 की उपधारा (2) के अंतगर्गत निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को देय मुआवजे के लिए आवेदन-पत्र देने की अवधि, दिसम्बर, 1994 के अन्त तक बढाए जा सकने की व्यवस्था करना है ।

एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा लगाये गये आरोप

2164. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के "दैनिक हिन्दुस्तान" में "दिल्ली पुलिस की निगरानी में बंदियों की सर्वाधिक मौतें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार प्रकाशित समाचार में एमनेस्टी इटरनेशनल द्वारा लगाए गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस एवं आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की तथा उसमें सदर्भित एमनेस्टी इटरनेशनल की रिपोर्ट की जानकारी है । रिपोर्ट में लगाए गए कई आरोप तो पूर्णतया : अन्यान्य प्रकृति के हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं । तथापि, सरकार की स्पष्ट नीति यह है कि जब कभी पुलिस/सुरक्षा बलों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ।

सरकार ने, समय-समय पर, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के दिशा-

निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस कार्मिक मानवोचित ढंग से व्यवहार करें तथा पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादातियों के आरोपों को गंभीरता से लिया जाए तथा ऐसे मामले होने पर कड़ी कार्रवाई की जाए । जांच-पड़ताल करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए पुलिस को सुग्राही बनान हेतु "इन्डक्शन" और "इन-सर्विस" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए हैं ।

Vigilance proceedings against Chief Engineer of NDMC

2165. SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the said Chief Engineer (Civil) N.D.M.C. has seven to eight CBI/CVC/Vigilance proceadings and two to three court cases against him but despite that he has been given the highest scale of 5900—6700) in May, 1991 without the recommendation of any Departmental Promotion Committee, budget provision and adequate work and the said irregularities nave been pointed out in the admitted writ petition;

(b) whether it is a fact that the annual confidential report in the Civil Enineering Department in NDMC are not written annually as per the prescribed guidelines of the Government of India; and

(c) how the Chief Engineer (Civil) has been nominated as the only technical member of the Departmental Promotion Committee for selection to the Senior posts in the Civil Engineering Department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) The New Delhi Municipal Council has reported thut 9 vigilance cases were under enquiry against tne Chief Engineer (Civil), NDMC in May 1991 when he was given the higher pay scale of Rs. 5900—6700|- The upgradatio n of the post of Chief Engineer (Civil), was carried out in parsuance of the recommendations of the Vaish Committee which was constituted to undertake a work study of the structure and functioning of Civil Engg. and Archiecture Deptt. of NDMC. Accordingly, the NDMC, vide its resolution No. 43 dated 10th May 1991, decided to operate the post of Chief Engineer (Civil) in the pay scale of Rs. 5900—6700. The pay of the Chief Engineer (Civil) was thereafter fixed in the higher scale of Rs. 5900—6700 with the approval of the competent authority. These points have also been raised in the Writ Petition filed by one of the Officers of NDMC in the Hign Court of Delhi.

(b) Normally the Annual Confidential Reports are written annually. Sometimes the reporting Officers submit their reports with considerable delay.

(c) The nomination of the Chief Engineer (Civil) as member of the Departmental Promotion Committee for selection to the senior posts in the Civil Wing of Engineering Deptt. of NDMC is in consonance with the guidelines issued by the Govt. of India from time to time.

Setting up of a Security Committee

2166. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI ANANT RAM JAISWAL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to set up a Security Committee, it so, what are tne details thereof, stating its purpose and reasons;

(b) whether Government will adopt an aggressive public relations exercise on International Fora to prove Pakistan's complicity in fomenting terrorism in the country; and

(c) if so, the details thereof and the decision, if any taken or likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) There is no such proposal.